

विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की जानकारी वर्ष 2009-10
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला-छतरपुर (म0प्र0)

---1---

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन "धान"	उन्नत पैकेज प्रदर्शन	विकासखण्ड स्तर से :-	0.4 हे0 क्षेत्र पर रू0 2500.00 प्रति प्रदर्शन
		धान सघनीकरण की प्रणाली पर प्रदर्शन	1. ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी प्राप्त लक्ष्यों से दोगुने हितग्राहियों का चयन इस बात को ध्यान रखते हुये करेंगे कि जिन्हें पूर्व वर्षों में योजनाओं का लाभ न मिला हो, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा लघु/ सीमांत कृषकों को प्राथमिकता देना है और 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना है।	0.4 हे0 क्षेत्र पर रू0 3000.00 प्रति प्रदर्शन
		संकर धान प्रदर्शन	2. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी 15 प्रतिशत हितग्राहियों के चयन की सूची निजी संस्थाओं से प्राप्त करेंगे।	0.4 हे0 क्षेत्र पर रू0 3000.00 प्रति प्रदर्शन
		संकर धान बीज को बढ़ावा देने के लिये उत्पादन हेतु सहायता	3. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संकलित हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन ग्रामसभा के कृषि स्थायी समिति से कराकर कृषि विकास अधिकारी को देंगे तथा कृषि विकास अधिकारी संकलित सूची वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को देंगे।	रू0 1000.00 प्रति किंवटल या 50% जो कम हो।
		संकर धान बीज वितरण सहायता	4. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड की संपूर्ण सूची जनपद पंचायत से अनुमोदन पश्चात् उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को भेजें।	रू0 2000.00 प्रति किंवटल या 50% जो कम हो।
		एच.आई.वी. बीज के वितरण हेतु सहायता	जिला स्तर से :-	रू0 500.00 प्रति किंवटल या 50% जो कम हो।
		उच्च उपज वाली किस्मों के बीज मिनीकिट	1. घटकवार जनपद पंचायत से अनुमोदित विकासखण्डवार लक्ष्यो को दोगुनी कृषक सूची प्राप्त करना।	50 हे0 क्षेत्र के लिये एक मिनीकिट नि:शुल्क
		सूक्ष्म पोषक तत्व (खराब मृदा) के लिये आर्थिक सहायता	2. कृषक सूची का अवलोकन कर अनुसूचित जाति, जनजाति, लघु, सीमांत व 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होने पर लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रकरण तैयार करने एवं आदान सामग्री की मांग हेतु घटकवार संस्थाओं को आदेश जारी करना। (उक्त कार्य शाखा प्रभारी करेंगे।)	50% या रू0 500.00 प्रति हे0, अधिकतम 5 हे0 के लिये (जो भी कम हो।)
		क्षारीय मृदा में लाइमिनिंग हेतु आर्थिक सहायता	संस्थाओं द्वारा :-	50% या रू0 500.00 प्रति हे0, अधिकतम 5 हे0 के लिये (जो भी कम हो।)
		नेपसेप स्प्रेयर	संस्था प्रतिनिधि वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से चर्चा कर मांग के अनुसार सामग्री की सप्लाई करेंगे।	कीमत का 50% या रू0 3000.00 प्रति कृषक प्रति स्प्रेयर जो भी कम हो।
		कोनोबीडर		कीमत का 50% या रू0 3000.00 प्रति कृषक प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		जीरो टिल सीड ड्रिल		कीमत का 50% या रू0 15000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		मल्टीक्राप प्लान्टर		कीमत का 50% या रू0 15000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल/ सीड ड्रिल		कीमत का 50% या रू0 15000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		रोटावेटर		कीमत का 50% या रू0 30000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन "धान"	डीजल/विद्युत पम्पसेट	-----"	कीमत का 50% या रू0 10000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		नाडेप टांका निर्माण	-----"	लागत का 50% या रू0 2000.00 प्रति नाडेप जो भी कम हो।
		वर्मी पिट निर्माण	-----"	लागत का 50% या रू0 500.00 प्रति वर्मी जो भी कम हो।
		पौध संरक्षण दवा (रासायनिक/जैविक)	-----"	रू0 500.00 प्रति हेक्टर या 50%, जो भी कम हो।
		फार्म फील्ड स्कूल	-----"	रू0 17000.00 प्रति प्रशिक्षण
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन "गेहूँ"	उन्नत पैकेज प्रदर्शन	-----"	0.4 हे0 क्षेत्र पर रू0 2500.00 प्रति प्रदर्शन
		बीज वितरण (33% एस.एस. आर.)	-----"	रू0 500.00 प्रति किंवटल
		उच्च उपज देने वाली किस्मों की मिनीकिट	-----"	100 हेक्टर क्षेत्र के लिये 1 मिनीकिट निःशुल्क
		सूक्ष्म पोषक तत्व (खराब मृदा) के लिये आर्थिक सहायता	-----"	50% या रू0 500.00 प्रति हे0, अधिकतम 5 हे0 के लिये (जो भी कम हो।)
		जिप्सम	-----"	50% या रू0 750.00 प्रति हे0, अधिकतम 5 हे0 के लिये (जो भी कम हो।)
		जीरो टिल सीड ड्रिल	-----"	कीमत का 50% या रू0 15000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		मल्टीक्राप प्लान्टर	-----"	कीमत का 50% या रू0 15000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		सीडकम फर्टिलाइजर ड्रिल/सीड ड्रिल	-----"	कीमत का 50% या रू0 15000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		स्प्रिंकलर	-----"	कीमत का 50% या रू0 7500.00 प्रति स्प्रिंकलर जो भी कम हो एवं 30% टापअप अधिकतम रू0 4500.00
		नेपसेप स्प्रेयर	-----"	कीमत का 50% या रू0 3000.00 प्रति कृषक प्रति स्प्रेयर जो भी कम हो।
		रोटावेटर	-----"	कीमत का 50% या रू0 30000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन "गेहूँ"	डीजल/विद्युत पम्पसेट	-----"	कीमत का 50% या रू0 10000.00 प्रति यंत्र जो भी कम हो।
		फार्म फील्ड स्कूल	-----"	रू0 17000.00 प्रति प्रशिक्षण
		नाडेप टांका निर्माण	-----"	लागत का 50% या रू0 2000.00 प्रति नाडेप जो भी कम हो।
		वर्मी पिट निर्माण	-----"	लागत का 50% या रू0 500.00 प्रति वर्मी जो भी कम हो।
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन "दलहन"	प्रजनक बीज क्रय पर अनुदान (10 साल के अन्दर की किस्में)	-----"	निःशुल्क (शत-प्रतिशत अनुदान)
		आधार बीज उत्पादन अनुदान	-----"	लागत का 50% या 1000.00 रू0 प्रति क्विं0 जो कम हो
		प्रमाणित बीज उत्पादन	-----"	लागत का 50% या 1000.00 रू0 प्रति क्विं0 जो कम हो
		प्रमाणित बीज वितरण अनुदान	-----"	लागत का 50% या 1200.00 रू0 प्रति क्विं0 जो कम हो
		आई.एन.एम. (सूक्ष्म पोषक तत्व)	-----"	50% या 500.00 रू0 प्रति हे0 जो कम हो (अधिकतम 5 हे0)
		जिप्सम/लाइम	-----"	50% या 750.00 रू0 प्रति हे0 जो कम हो (अधिकतम 5 हे0)
		आई.पी.एम. (पौध संरक्षण दवा जैविक)	-----"	50% या 500.00 रू0 प्रति हे0 जो कम हो (अधिकतम 5 हे0)
		स्प्रिंकलर सेट पर अनुदान	-----"	50% या 7500.00 रू0 प्रति सेट जो कम हो एवं 30% टॉपअप अधिकतम रू0 4500.00
		नेपसेक स्प्रेयर	-----"	50% या 3000.00 रू0 प्रति मशीन जो कम हो
		रोटावेटर	-----"	50% या 30000.00 रू0 प्रति मशीन जो कम हो
		मल्टीक्राप प्लान्टर	-----"	50% या 15000.00 रू0 प्रति मशीन जो कम हो
		डीजल/विद्युत पम्प सेट	-----"	50% या 10000.00 रू0 प्रति मशीन जो कम हो
		जीरो टिल सीड ड्रिल	-----"	50% या 15000.00 रू0 प्रति मशीन जो कम हो
		सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	-----"	50% या 15000.00 रू0 प्रति मशीन जो कम हो

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन "दलहन"	नाडेप टांका	-----"	50% या 2000.00 रु0 प्रति टांका जो कम हो
		वर्मी पिट	-----"	50% या 500.00 रु0 प्रति पिट जो कम हो
4	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	बलराम तालाब	-----"	लागत का 40% या रु0 80000.00 जो भी कम हो
		नलकूप खनन	-----"	लागत का 75% लघु/सीमान्त कृषकों को। 50% या रु0 15000.00 प्रति हितग्राही जो भी कम हो
		नलकूप सबमर्सिबल	-----"	लागत का 75% लघु/सीमान्त कृषकों को। 50% या रु0 9000.00 प्रति हितग्राही जो भी कम हो
		बीज वितरण अनुदान (सोयाबीन)	-----"	50% या रु0 1200.00 प्रति क्वि0 जो भी कम हो
		बीज वितरण अनुदान (धान)	-----"	50% या रु0 500.00 जो भी कम हो
		बीज वितरण अनुदान (मूंग, उड़द, अरहर)	-----"	50% या रु0 1200.00 प्रति क्वि0 जो भी कम हो
		बीज उत्पादन अनुदान (सोयाबीन)	-----"	रु0 1000.00 प्रति क्विं0
		बीज उत्पादन अनुदान (धान)	-----"	रु0 500.00 प्रति क्विं0
		बीज उत्पादन अनुदान (मूंग, उड़द, अरहर)	-----"	रु0 1000.00 प्रति क्विं0
		सोयाबीन वृहताकार प्रदर्शन (10 हे0)	-----"	रु0 2500.00 प्रति हे0 प्रति कृषक या 50% या जो भी कम हो
		संकर धान प्रदर्शन 0.4 हे0	-----"	रु0 3000.00 प्रति प्रदर्शन या 50% जो भी कम हो
		बीजोपचार दवा (जैविक)	-----"	75% या 100.00 रु0 प्रति हे0 जो भी कम हो
		बीजोपचार दवा (रासायनिक)	-----"	75% या 100.00 रु0 प्रति हे0 जो भी कम हो
		कल्चर वितरण अनुदान	-----"	50% या 100.00 रु0 प्रति हे0 जो भी कम हो
		नाडेप निर्माण	-----"	लागत का 50% या रु. 2000.00 जो भी कम हो
	पौध संरक्षण	-----"	50% या 500.00 रु0 प्रति हे0 जो भी कम हो	

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
5	मैक्रोमैनेजमेंट योजना	ट्रेक्टर	-----"-----	कीमत का 25% प्रतिशत या अधिकतम रु0 45000.00 जो भी कम हो
		पावर टिलर	-----"-----	कीमत का 40% प्रतिशत या अधिकतम रु0 45000.00 8 बी.एच.पी. से ज्यादा एवं 40 प्रति0 या रु0 25000.00 8 बी.एच.पी. से कम के हल्के पावर टिलर के लिये
		स्वचालित मशीनें	-----"-----	कीमत का 25% या रु0 40000.00 जो भी कम हो
		विशेष शक्तिचलित उपकरण	-----"-----	(अ) कीमत का 25% या अधिकतम रु0 15000.00 शक्तिचलित उपकरण – पोटेटो प्लांटर, पोटेटो डिगर, ग्राउन्डनट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रेक्टर चलित रीपर, क्लीनर कम ग्रेडर, ड्रायर, स्टबल शेवर, मोबाइल फूट हार्वेस्टर, पावर वीडर, मिनी राईस मिल, दाल मिल, कल्टीपेकर, ओनियन हार्वेस्टर, मोटरीकृत बनाना फाइबर मेकिंग मशीन। (ब) कीमत का 40% या अधिकतम रु0 20000 शक्तिचलित उपकरण – जीरो-टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, रैज्ड वेड प्लांटर, शुगरकेन कटर-प्लांटर/रिंग पिट डिगर/पोस्ट होल डिगर, रोटावेटर, स्ट्रॉ-रीपर, क्रॉप रीपर, / बाइन्डर, हैप्पी सीडर, वेजिटेबल ट्रान्सप्लांटर/ न्यूमेटिक वेजिटेबल सीडर
		शक्तिचलित उपकरण (ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित)	-----"-----	अ) कीमत का 25% या अधिकतम रु0 10000.00 ट्रेक्टर चलित यंत्र – एम0बी0 प्लाऊ, हैरो, कल्टीवेटर, सीड कम फर्टिलाइजर (ब) कीमत का 25% या अधिकतम रु0 10000.00 पावर टिलर चलित यंत्र – हेरो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल
		पावर थ्रेशर	-----"-----	कीमत का 25% या अधिकतम रु0 12000.00
		बैल शक्ति चलित टूल कॅरियर	-----"-----	कीमत का 25% या अधिकतम रु0 6000.00
		बैल शक्ति चलित यंत्र	-----"-----	कीमत का 25% या अधिकतम रु0 2500.00

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
	मैक्रोमैनेजमेंट योजना	हस्त चलित यंत्र/ट्रॉल्स	-----"	कीमत का 25% या अधिकतम रु 2000.00
		कोनोवीडर	-----"	कीमत का 50% या अधिकतम रु 3000.00
		एरो ब्लास्ट स्प्रेयर	-----"	कीमत का 25% या अधिकतम रु 25000.00
		कम्बाइन हार्वेस्टर	-----"	कीमत का 25% या अधिकतम रु 1.50 लाख
6	आईसोपॉम तिलहन	प्रजनक बीज अनुदान	-----"	रु 4000.00 प्रति किंव०
		आधार बीज वितरण अनुदान	-----"	रु 500.00 प्रति किंव० दिनांक 01.10.07 से 1000.00 रु प्रति किंव०
		प्रमाणित बीज वितरण अनुदान	-----"	दिनांक 01.04.08 से बीज की कीमत का 50% या रु 1200.00 प्रति किंव०
		जिप्सम/पायराइट/डोलोमाइट वितरण अनुदान	-----"	50% या अधिकतम रु 750.00 प्रति हे०
		सूक्ष्म तत्व वितरण अनुदान	-----"	रु 500.00 प्रति हे० दिनांक 01.10.07 से 750.00 रु प्रति हे०
		आई.पी.एम. सामग्री पर अनुदान	-----"	1. मूंगफली फसल पर रु 1627.50 प्रति हे० 2. सोयाबीन फसल पर रु 428.00 प्रति हे० 3. सरसो फसल पर रु 930.00 प्रति हे०
		पौध संरक्षण औषधि वितरण अनुदान	-----"	कीमत का 50% या अधिकतम रु 500.00 प्रति हे०
		नीदानाशक वितरण अनुदान	-----"	कीमत का 50% या अधिकतम रु 500.00 प्रति हे०
		पौध संरक्षण यंत्र वितरण अनुदान	-----"	1. मैनुअली आपरेटेड पर 50% या रु 800.00 प्रति यंत्र 2. पावर आपरेटेड पर 50% या रु 2000.00 प्रति यंत्र
		कल्चर, पी0एस0बी0 वितरण अनुदान	-----"	कीमत का 50% या अधिकतम रु 50.00 प्रति हे०, दिनांक 01.10.07 से 50% या अधिकतम रु 100.00 प्रति हे०
स्प्रिंकलर सेट वितरण अनुदान	-----"	1. कीमत का 50% या अधिकतम रु 7500.00 प्रति सेट 2. 30% टॉपअप अनुदान अधिकतम रु 4500 प्रति सेट		

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
	आईसोपॉम तिलहन	पानी उठाव हेतु पाइप वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 15000.00 प्रति सेट
		ब्लाक प्रदर्शन	-----"-----	रु 2500.00 प्रति हे0
		बैल चलित उन्नत कृषि यंत्र	-----"-----	रु 2500 प्रति यंत्र
		पावर चलित उन्नत कृषि यंत्र	-----"-----	रु 15000.00 प्रति यंत्र
		जनरेटर वास्ते 5 एच.पी. मोटर	-----"-----	रु 20000.00 प्रति जनरेटर
7	आईसोपॉम दलहन	प्रजनक बीज अनुदान	-----"-----	रु 4000.00 प्रति किंव0
		आधार बीज वितरण अनुदान	-----"-----	रु 500.00 प्रति किंव0 दिनांक 01.10.07 से 1000.00 रु प्रति किंव0
		प्रमाणित बीज वितरण अनुदान	-----"-----	दिनांक 01.04.08 से बीज की कीमत का 50% या रु 1200.00 प्रति किंव0
		जिप्सम/पायराइट/डोलोमाइट वितरण अनुदान	-----"-----	50% या अधिकतम रु 750.00 प्रति हे0
		सूक्ष्म तत्व वितरण अनुदान	-----"-----	रु 500.00 प्रति हे0 दिनांक 01.10.07 से 750.00 रु प्रति हे0
		आई.पी.एम. सामग्री पर अनुदान	-----"-----	1. मूंगफली फसल पर रु 1627.50 प्रति हे0 2. सोयाबीन फसल पर रु 428.00 प्रति हे0 3. सरसो फसल पर रु 930.00 प्रति हे0
		पौध संरक्षण औषधि वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 500.00 प्रति हे0
		नींदानाशक वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 500.00 प्रति हे0
		पौध संरक्षण यंत्र वितरण अनुदान	-----"-----	1. मैनुअली आपरेटेड पर 50% या रु 800.00 प्रति यंत्र 2. पावर आपरेटेड पर 50% या रु 2000.00 प्रति यंत्र
		कल्चर, पी0एस0बी0 वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 50.00 प्रति हे0, दिनांक 01.10.07 से 50% या अधिकतम रु 100.00 प्रति हे0

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
	आईसोपॉम दलहन	स्प्रिंकलर सेट वितरण अनुदान	-----"-----	1. कीमत का 50% या अधिकतम रु 7500.00 प्रति सेट 2. 30% टॉपअप अनुदान अधिकतम रु 4500 प्रति सेट
		पानी उठाव हेतु पाइप वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 15000.00 प्रति सेट
		ब्लाक प्रदर्शन	-----"-----	रु 2500.00 प्रति हे0
		बैल चलित उन्नत कृषि यंत्र	-----"-----	रु 2500 प्रति यंत्र
		पावर चलित उन्नत कृषि यंत्र	-----"-----	रु 15000.00 प्रति यंत्र
		जनरेटर वास्ते 5 एच.पी. मोटर	-----"-----	रु 20000.00 प्रति जनरेटर
8	आईसोपॉम मक्का	प्रजनक बीज अनुदान	-----"-----	रु 4000.00 प्रति किंव0
		आधार बीज वितरण अनुदान	-----"-----	रु 500.00 प्रति किंव0 दिनांक 01.10.07 से 1000.00 रु प्रति किंव0
		प्रमाणित बीज वितरण अनुदान	-----"-----	दिनांक 01.04.08 से बीज की कीमत का 50% या रु 1200.00 प्रति किंव0
		जिप्सम/पायराइट/डोलोमाइट वितरण अनुदान	-----"-----	50% या अधिकतम रु 750.00 प्रति हे0
		सूक्ष्म तत्व वितरण अनुदान	-----"-----	रु 500.00 प्रति हे0 दिनांक 01.10.07 से 750 रु प्रति हे0
		आई.पी.एम. सामग्री पर अनुदान	-----"-----	1. मूंगफली फसल पर रु 1627.50 प्रति हे0 2. सोयाबीन फसल पर रु 428.00 प्रति हे0 3. सरसो फसल पर रु 930.00 प्रति हे0
		पौध संरक्षण औषधि वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 500 प्रति हे
		नीदानाशक वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 500 प्रति हे
		पौध संरक्षण यंत्र वितरण अनुदान	-----"-----	1. मैनुअली आपरेटेड पर 50% या रु 800.00 प्रति यंत्र 2. पावर आपरेटेड पर 50% या रु 2000.00 प्रति यंत्र
		कल्चर, पी0एस0बी0 वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 50.00 प्रति हे0, दिनांक 01.10.07 से 50% या अधिकतम रु 100.00 प्रति हे0

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
	आईसोपॉम मक्का	स्प्रिंकलर सेट वितरण अनुदान	-----"-----	1. कीमत का 50% या अधिकतम रु 7500.00 प्रति सेट 2. 30% टॉपअप अनुदान अधिकतम रु 4500.00 प्रति सेट
		पानी उठाव हेतु पाइप वितरण अनुदान	-----"-----	कीमत का 50% या अधिकतम रु 15000.00 प्रति सेट
		ब्लॉक प्रदर्शन	-----"-----	रु 2500.00 प्रति हे0
		बैल चलित उन्नत कृषि यंत्र	-----"-----	रु 2500 प्रति यंत्र
		पावर चलित उन्नत कृषि यंत्र	-----"-----	रु 15000.00 प्रति यंत्र
		जनरेटर वास्ते 5 एच.पी. मोटर	-----"-----	रु 20000.00 प्रति जनरेटर
9	आई.सी.डी.पी. (कोर्स सीरियल)	प्रजनक बीज वितरण अनुदान	-----"-----	रु 2000.00 प्रति किंव0
		बीज उत्पादन सहायता	-----"-----	1. आधार बीज वितरण पर 25% या अधिकतम रु 500.00 प्रति किंव0 2. प्रमाणित बीज वितरण पर 25% या अधिकतम रु 500.00 प्रति किंव0
		बीज वितरण अनुदान	-----"-----	1. आधार बीज वितरण पर 25% या अधिकतम रु 500.00 प्रति किंव0 2. प्रमाणित बीज वितरण पर 50% या अधिकतम रु 500.00 प्रति किंव0
		अन्तर्वर्तीय फसल प्रदर्शन	-----"-----	25% या अधिकतम रु 500.00 प्रति हे0
		बायोपेस्टीसाइड पर अनुदान	-----"-----	25% या अधिकतम रु 500.00 प्रति हे0
		सीड रिलायंस प्रोग्राम	-----"-----	रु 1500.00 प्रति हे0
		कृषकों के खेतों पर नवीन किस्मों का बीज उत्पादन कार्यक्रम	-----"-----	रु 1500.00 प्रति हे0
		बीजोपचार औषधि वितरण (जैविक एवं रासायनिक)	-----"-----	25% या अधिकतम रु 500.00 प्रति हे0

क्र0	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन का मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5
10	सूरजधारा योजना	बीज अदला-बदली	-----"-----	बीज की कीमत का 75% अनुदान 1 हे0 की सीमा तक
		बीज स्वावलंबन	-----"-----	बीज की कीमत का 75% अनुदान 1/10 हे0 क्षेत्र के लिये
		बीज उत्पादन	-----"-----	बीज की कीमत का 75% अनुदान कम से कम आधा एकड़ अधिकतम 1 हे0 की सीमा तक
11	अन्नपूर्णा योजना	बीज अदला-बदली	-----"-----	बीज की कीमत का 75% अनुदान 1 हे0 की सीमा तक अधिकतम रु0 1500.00
		बीज स्वावलंबन	-----"-----	बीज की कीमत का 75% अनुदान 1/10 हे0 क्षेत्र के लिये
		बीज उत्पादन	-----"-----	बीज की कीमत का 75% अनुदान कम से कम आधा एकड़ अधिकतम 1 हे0 की सीमा तक
12	बीज ग्राम योजना	आधार/प्रमाणित बीज वितरण अनुदान	-----"-----	बीज की कीमत का 50% अनुदान 1/2 एकड़ क्षेत्र की सीमा तक
		अनाज कोठी	-----"-----	1. 10 किंव0 भंडार क्षमता कोठी पर अ.जा./अ. ज.जा. तथा अन्य वर्गों के कृषकों के लिये लागत का 75% क्रमशः 1500.00 तथा 1000.00 2. 20 किंव0 भंडार क्षमता कोठी पर अ.जा./अ. ज.जा. तथा अन्य वर्गों के कृषकों के लिये लागत का 75% क्रमशः 3000.00 तथा 2000.00
13	आत्मा परियोजना	फसल प्रदर्शन अनुदान	-----"-----	फसल प्रदर्शन पर 90% अनुदान

स्वास्थ्य विभाग

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	दिया जाने वाला लाभ
1	जननी सुरक्षा योजना	संस्थागत सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना।	घर में प्रसव होने पर केवल गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को, तथा शासकीय संस्था में प्रसव होने पर सभी वर्गों को (बी.पी.एल. की बाध्यता नहीं) जननी सुरक्षा योजना का लाभ दिया जाता है।	घर में प्रसव पर बी.पी.एल.परिवार को 500/- प्रति हितग्राही। शासकीय संस्था में प्रसव होने पर ग्रामीण हितग्राही को 1400/- प्रति हितग्राही एवं शहरी हितग्राही को 1000/- प्रति हितग्राही सहायता राशि प्रदाय की जाती हैं।
2	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	एक वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर।	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के परिवारों को शासकीय चिकित्सालय में भर्ती होने पर जाँच एवं उपचार के लिए 20,000/- प्रति परिवार की सीमा तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
3	परिवार कल्याण कार्यक्रम	जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना।	इच्छुक दम्पति जिनके 01 या 01 से अधिक जीवित बच्चें हो।	पुरुष नसबंदी (एन.सी.व्ही.) हेतु 1500/- प्रति हितग्राही एवं महिला नसबंदी (एल.टी.टी.) हेतु 1000/- प्रति हितग्राही प्रदाय की जाती हैं।
4	जिला बीमारी सहायता निधि/ राज्य बीमारी सहायता निधि	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क आपरेशन की व्यवस्था करना।	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के एक सदस्य को जीवन में एक बार चिन्हित 13 बीमारियों के अंतर्गत होने वाले आपरेशन की निःशुल्क व्यवस्था।	जिला बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत 25000/- से 75000/- रुपये तक निःशुल्क उपचार किया जाता है। तथा राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत 75000/- से 1,50,000/- रुपये तक निःशुल्क उपचार किया जाता है।

म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	दिया जाने वाला लाभ
1	राज्य शासन परिवार मूलक योजना	गरीबी रेखा में चयनित व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता (ऋण+अनुदान) उपलब्ध कराना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. गरीबी रेखा में चयनित। 2. बैंक का ऋणी न हो। 3. परम्परागत / अनुभवी/ प्रशिक्षित उद्यमी / कारीगर 4. उद्यमी कारीगर ग्रामीण नगरीय क्षेत्र जिसकी आवादी 20000 से कम हो 5. आयु 18 से 50 वर्ष 	हितग्राही को आर्थिक सहायता (ऋण बैंक के माध्यम से एवं अनुदान विभाग से) ग्रामोद्योग /सेवा कार्य हेतु लागत का 50: अधिकतम रूपये 25000 अनुदान का लाभ दिया जाता है।
2	प्रशिक्षण योजना	गरीबी रेखा में चयनित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु उद्योग /सेवा कार्य का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।	<ol style="list-style-type: none"> 1. गरीबी रेखा में चयनित। 2. <u>ग्रामीण/ नगरीय</u> क्षेत्र 20000 से कम आवादी का निवासी 3. आयु 18 से 35 वर्ष 4. ट्रेड अनुसार शैक्षणिक योग्यता 	प्रशिक्षण अवधि में छात्रवृत्ति
3	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी. एम.ई.जी.पी)	ग्रामोद्योग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना	<ol style="list-style-type: none"> 1. हितग्राही की आयु 18 वर्ष से अधिक हो। 2. विनिर्माण में 10 लाख एवं सेवा में 5 लाख से अधिक हेतु 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 3. किसी अन्य योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त न किया हो 4. एक परिवार से एक ही व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। 5. हितग्राहियों का चयन जिला टास्कफोर्स कमेटी द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। 6. स्व सहायता समूह /पंजीकृत संस्थाएं/सहकारी संस्थाएं/ ट्रस्ट पात्र होंगे। 	ग्रामोद्योग / सेवा कार्य हेतु आर्थिक सहायता बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराना। सामान्य पुरुष को परियोजना लागत का 25: अनुदान महिला पिछड़ा वर्ग अनुजाति /अनु.जन जाति विकलांग भूतपूर्व सैनिक अल्प संख्यक को परियोजना लागत का 35: अनुदान का लाभ खादी आयोग द्वारा दिया जाता है।

जिला हाथकरघा कार्यालय

योजना/कार्य क्रय का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1- कुटीर उद्योग विकास योजना	ग्रामीण कारीगारों शिल्पियों के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना।	1-औद्योगिक सहकारी समितियों जो सहकारी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत हो। 2-स्व सहायता समूह जो कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग से संबंधित 3-व्यक्तिगत हितग्राही जो परम्परागत एवं प्रशिक्षित संबंधित ग्रामीण उद्योग से।	(अ) प्लांट एवं मशीनरी - कुटीर उद्योग हेतु प्लांट एवं मशीनरी में अनुदान की सीमा सामान्य वर्ग 33 प्रतिशत एवं एस.सी./एस.टी. वर्ग हेतु 50 प्रतिशत रहेगी। शेष ऋण राशि वित्तीय संस्थान से स्वीकृति की जावेगी। तदुपरान्त स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुदान राशि देय होगी। (ब) कार्यशील पंजी - (क) औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को नावार्ड द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड अनुसार वित्त पोषण किया जावेगा। (ख) व्यक्तिगत हितग्राही को रुपये 50000/- प्रति व्यक्ति (कार्यशील पूजी)
2-हाथकरघा विकास योजना	हाथकरघा क्षेत्र के बुनकर सहकारी समितियों एवं स्व सहायता समूहों व्यक्तिगत बुनकरों एवं शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाना।	बुनकर सहकारी समितियों एवं स्व सहायता समूहों जो कार्यशील होकर अपने सदस्यों को रोजगार प्रदान कर रहे हो। व्यक्तिगत जो बुनकर अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्त पोषित न हो।	1-प्रशिक्षण 1. कौशल उन्नयन प्रशिक्षण 2. रंगाई प्रशिक्षण 3. डिजाइन डब्लपमेन्ट 4. उन्नत उपकरण एवं सहायक उपकरण का प्रदाय 5. कार्यशील पूजी- संस्था स्व सहायता समूह, एवं व्यक्तिगत बुनकर नावार्ड के नियमानुसार

<p>3— कल्याणकारी योजना— 1—बुनकर स्वास्थ्य बीमा, 2—महात्मा गांधी बुनकर बीमा</p>	<p>1—स्वास्थ्य बीमा के अन्तर्गत बुनकरो के बीमारी की स्थिति में एक कलेन्डर वर्ष में रू. 15000 /— तक के उपचार हेतु सहायता प्रदान की जावेगी।</p> <p>2— बुनकरो की पालिसी जारी होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि में स्वाभाविक व दुर्घटना मृत्यु होने की स्थिति में तथा आंशिक निषक्तता के मामलो में बढा हुआ बीमा राषि प्रदान करना।</p>	<p>1—बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत आयु सीमा एक वर्ष से 80 वर्ष तक बुनकरो की कुल आय का 50 प्रतिषत बुनाई से अर्जित करता हो।</p> <p>2—महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में बुनकर की उम्र 18 से 59 वर्ष तक, तथा बुनकरो की कुल आय का 50 प्रतिषत बुनाई से अर्जित करता हो।</p>	<p>बैंक द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूजी की एक तिहाई राषि अनुदान के रूप में दी जावेगी।</p> <p>1— एक परिवार के 4 सदस्यो का स्वास्थ्य सुविधा के लिये रू. 15000 /—प्रदान कराया जाता है।</p> <p>2— महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना में असामायिक मृत्यु तथा दुर्घटना मृत्यु या आंशिक अपंगता होने पर रूपये क्रमशः 50 हजार, 80 हजार, 50 हजार का लाभ प्रदान किया जाता है।</p>
--	---	--	--

HORTICULTURE

क्र०	योजना का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	दिया जाने वाला लाभ
1	फल पौध रोपण योजना	नये उद्यानों का विकास एवं फलों के रकबो में वृद्धि	ग्राम सभा से	सतना जिले में आम आंवला फलोद्यान पर लागत का 25 प्रतिशत अनुदान देय है अनुदान 5 वर्षों में दिया जाता है आम में प्रथम वर्ष 4350 , द्वितीय वर्ष 975 , तृतीय 975 , चतुर्थ 1150 पंचम वर्ष 1150, कुल 8600 रु. आंवला में प्रथम वर्ष 4900, द्वितीय 1525, तृतीय 1538, चतुर्थ 1575 पंचम वर्ष 1638 कुल 1175 रु. ।
2	टापवर्किंग कार्यक्रम	कलमी पौधों की संख्या में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना	स्थल निरीक्षण करके	देशी बेर , आंवला को प्रशिक्षित अमलें द्वारा बडिंग/ग्राफिटिंग द्वारा कलमी बनाया जाता है सफलतम बाडी पर दस रु. के मान से भुगतान किया जाता है।
3	घरेलू बागवानी (बाडी/किचन गार्डन)	कुपोषण से बचाव एवं आम का श्रोत बढ़ाना	ग्राम सभा से	बी.पी.एल. परिवारों को कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों को बाडी में सब्जी उत्पादन के लिये निःशुल्क सब्जी बीज किट 50 रु. का वितरण किया जाता है।
4	पुष्प विकास कार्यक्रम (प्रदर्शन)	फूलों की खेती को बढ़ावा देकर, आय बढ़ाना	शहर के आस-पास सिंचाई एवं फेन्सिंग वाले इच्छुक कृषकों को	पुष्प की खेती एवं कृषकों को प्रोत्साहित करने एवं आर्थिक आय बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना में प्रति कृषक 1000 रु. कृषक अंश राशि लेकर 4000 रु. कीमत के उत्तम किस्म के गुलाब हाईब्रिड पौधे/हाईब्रिड गेंदा बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।
5	समन्वित सागभाजी अनुदान योजना	सब्जी का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाना , आय बढ़ाना	ग्राम पंचायत स्तर से	संकर सब्जी बीज उत्पादन हेतु अधिक उत्पादन के उद्देश्य से सामान्य कृषकों को 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति तथा अनु.जनजाति को 75 प्रतिशत अनुदान पर हाइब्रिड सब्जी बीज वितरण अधिकतम 2 हे. तक किया जाता है।
6	मसाला प्रदर्शन	मसाला क्षेत्र विस्तार करना, उत्पादन बढ़ाना	ग्राम पंचायत स्तर से	100 रु. कीमत का प्रमाणित सब्जी बीज मिर्च कृषकों को मसाला की खेती को प्रोत्साहन हेतु प्रदाय किया जाता है।
7	कृषक प्रशिक्षण एवं उद्यानिकी संगोष्ठी	नई-नई तकनीकी का बढ़ावा देकर प्रशिक्षित करना	उद्यानिकी फसल उत्पादक कृषक	कृषकों को उद्यानिकी फसलों की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रोपणियों पर कृषकों को उद्यानिकी प्रशिक्षण एवं उद्यानिकी संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है।
8	आलू प्रदर्शन	गुणवत्ता का आलू पैदा करना खाद्यान्न व्यवस्था करना	ग्राम सभा से	कृषकों को 500 रु. कीमत का आलू किट निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।
9	मिर्च प्रदर्शन (BPL कृषको हेतु)	मिर्च मसाला का उत्पादन बढ़ाकर कृषकों के जीवन स्तर में वृद्धि करना	ग्राम सभा से	बी.पी.एल. के कृषकों को 0.1 से 0.5 हे. में मिर्च प्रदर्शन हेतु आदान 7000 रु. कीमत आधा हे. मे निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।
10	औषधि प्रदर्शन	औषधि की खेती को बढ़ावा देना , क्षेत्र विस्तार करना	ग्राम पंचायत स्तर से	कृषकों को 100रुकीमत का औषधि मिनीकिट निःशुल्क प्रदाय किया जाता है।

उद्यानिकी विभागीय योजनाओं की जानकारी

क्र०	योजना का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	दिया जाने वाला लाभ
1	माडल नर्सरी (बडी) की स्थापना	बागवानी उत्पादन में वृद्धि करना , पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय वृद्धि में सहायता , कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना	तकनीकी समिति के अनुसंशा पर राज्य स्तर से स्वीकृत क्षेत्रफल 4 हे. एवं उत्पादन क्षमता 4 लाख फलपौध	रु. 18.00 लाख
	(अ) शासकीय क्षेत्र			रु. 09.00 लाख
	(ब) निजी क्षेत्र			
2	माडल नर्सरी (छोटी) की स्थापना	-----"-----	तकनीकी समिति के अनुसंशा पर राज्य स्तर से स्वीकृत क्षेत्रफल एक हे एवं उत्पादन क्षमता 60 से 80 हजार	रु. 3.00 लाख
	(अ) शासकीय क्षेत्र			रु. 1.50 लाख
	(ब) निजी क्षेत्र			
3	सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम	उन्नतशील बीज कृषको को उपलब्ध कराना	राज्य उद्यानिकी मिशन के निर्देशानुसार शा. रोपणियों में इच्छुक कृषको के आवेदन तकनीकी समिति के अनुमोदन पर	शत प्रतिशत अनु. अधिकतम 50000 /-
	(अ) शा. क्षेत्रों में			लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25000 /-
	(ब) निजी क्षेत्रों में			
4	नये फलोद्यान की स्थापना	पोषण सुरक्षा में सुधार तथा किसानों के लिए आय वृद्धि में सहायता करना	इच्छुक कृषको का चयन जिनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हों	22500 प्रति हे. तक या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत
	(अ) ऑवला			
	(ब) आम			
5	पुष्प विकास	कृषको की आय में वृद्धि करना एवं कुशल और अकुशल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना	इच्छुक कृषको का चयन जिनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हों	रु. 35000 /- प्रति हे. सामग्री रूप में अनुदान
	(अ) कट पलावर			रु. 45000 /- प्रति हे. सामग्री रूप में अनुदान
	(ब) बलब्स			रु. 12000 /- प्रति हे. सामग्री रूप में अनुदान
6	मसाला विकास	कृषको की आय में वृद्धि करना	इच्छुक कृषको का चयन जिनके पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध हों	रु. 11250 /- प्रति हे. या वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत (जो भी कम हो) सामग्री रूप में अनुदान
	(अ) मिर्च			
	(ब) धनिया			
7	पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार	पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार करके किसानों की आय में वृद्धि करना	25 से 30 वर्ष पुराने बगीचे होना चाहिए 12 वर्ष पुराने बगीचे होना चाहिए	रु. 15000 /- हे. सामग्री रूप में अनुदान
	(अ) आम			
	(ब) अमरूद			

8	जल स्रोतो का निर्माण	कृषको को सिंचाई हेतु जल उपलब्धता को बढ़ाना	शा. अथवा निजी भूमि पर रजिस्टरड दान पत्र खसरे मे शा. दर्ज होने पर	जलस्रोतो में 10.00 लाख तक प्रति लागत तक अनुदान
9	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट	जैविक खाद् के उत्पादन को बढ़ावा देना एवं रासायनिक उर्वरको के प्रयोग को कम करना	इच्छुक कृषको के द्वारा निर्धारित नाम्स अनुसार निर्माण कार्य पुर्ण कराने पर	रु. 15000 /- यूनिट अनुदान
10	फसलोत्तर प्रबंधन		कृषको के प्राप्त आवेदनों पर तकनीकी समिति के अनुसंशा पर	
	(अ) पैक हाउस का निर्माण	ताजे सब्जी एवं फलों को ग्रेडिंग, पैकिंग, के माध्यम से गुणवत्त में सुधार करना		25 प्रतिशत अथवा 62500 /- हे. (जो भी कम हो) पश्चात अनुवर्ती अनुदान
11	ग्रामीण बाजार	क्षेत्रिय स्तर पर विपणन के अवसर प्रदान करना	पंचायत स्तर से	25 प्रतिशत अथवा 3.75 लाख (जो भी कम हो) पश्चात अनुवर्ती अनुदान
12	जीरो एनर्जी कूल चेम्बर	ताजे सब्जी एवं फलों को अस्थायी रूप से भण्डारित कर सडने से बचाना	कृषको के प्राप्त आवेदनों पर तकनीकी समिति के अनुसंशा पर	25 प्रतिशत अधिकतम रु. 2250 /-
13	प्याज भण्डार गृह	भंडारण के अवसर में वृद्धि करना	कृषको के प्राप्त आवेदनों पर तकनीकी समिति के अनुसंशा पर	25 प्रतिशत अधिकतम 37500 /- पश्चात अनुवर्ती अनुदान

पशु चिकित्सा एवं पशु पालन विभाग

क्र	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन मापदण्ड	दिये जाने वाला लाभ
01	विशेष पशु प्रजनन कार्यक्रम	शंकर/देशी उन्नत नस्ल की बछिया के उचित परिपालन हेतु संतुलित आहार उपलब्ध करा कर के गरीब हितग्राहियों में शंकर/देशी उन्नत मादा वत्स पालन के प्रति रुचि उत्पन्न करना	ऐसे हितग्राहियों का चयन किया जाता है जो लघु/ सीमान्त/ भूमिहीन कृषि मजदूर हों, जिनके पास मादा संकर बछिया/ देशी उन्नत नस्ल की बछिया हो। योजना सभी वर्गों के लिये है।	बछिया के 04 से 32 माह की उम्र तक भरण पोषण हेतु संतुलित आहार का प्रदाय
02	समुन्नत पशु प्रजनन कार्यक्रम (अनुदान पर प्रजनन योग्य मुरा सांड़ का प्रदाय)	नस्ल सुधार एवं पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना	प्रगतिशील पशुपालक अथवा प्रशिक्षित गौ सेवक	01 नग मुरा सांड़ (बीमा सहित)
03	अनुदान पर बैकयार्ड कुक्कुट इकाई का प्रदाय	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुक्कुट पालक	15 दिवसीय 55 नग चूजे बिना लिंग भेद के ; कुक्कुट आहार व औषधि
04	अनुदान पर उन्नत नस्ल के नर सूकर का प्रदाय	देशी/स्थानीय सूकरों की नस्ल सुधार एवं हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना	अनुसूचित जाति वर्ग के सूकर पालक	उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य 01 नर सूकर

क्र	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन मापदण्ड	दिये जाने वाला लाभ
05	अनुदान के आधार पर सूकर त्रयी का प्रदाय	देशी/स्थानीय सूकरों की नस्ल सुधार एवं हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना	अनुसूचित जनजाति वर्ग के सूकर पालक	उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य 01 नर सूकर एवं उन्नत नस्ल की 02 मादा सूकर
06	अनुदान पर प्रजनन योग्य बकरों का प्रदाय	देशी बकरियों में नस्ल सुधार एवं हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना	अजा/अजजा, सामान्य वर्ग के पशु पालक	उन्नत नस्ल का प्रजनन योग्य 01 बकरा (बीमा सहित) एवं मिनरल मिक्सचर
07	ऋण एवं अनुदान पर (10+1 या 20+2) बकरी इकाई का प्रदाय	देशी बकरियों में नस्ल सुधार एवं हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा मांस एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना	योजना सभी वर्गों के भूमिहीन कृषि मजदूर/ लघु एवं सीमान्त कृषक जिन्हें बकरी पालन का अनुभव हो।	बकरी इकाई प्रदाय पर सामान्य वर्ग के पशु पालकों को 25% अनुदान एवं अजा, अजजा वर्ग के पशु पालकों को 50% अनुदान दिया जाता है (तथा 10% हितग्राही सहयोग राशि लेकर शेष राशि बैंक से फाइनेन्स होती है)
08	ऋण एवं अनुदान पर दुधारु पशु (शंकर गाय 03 या 05 गाय) का प्रदाय	दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना। हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा दुग्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना	सभी वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक	03 गाय अथवा 05 गाय की इकाई लागत पर अजा/अजजा वर्ग के हितग्राहियों को रुपये 10000/- तथा सामान्य वर्ग को रुपये 7500/- का अनुदान दिया जाता है
09	ऋण एवं अनुदान पर दुधारु पशु (ग्रेडेड मुरा 03 या 05 भैंस) का प्रदाय	दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाना। हितग्राही की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा दुग्ध उपलब्धता सुनिश्चित करना	सभी वर्ग के लघु एवं सीमान्त कृषक	03 भैंस अथवा 05 भैंस की इकाई लागत पर अजा/अजजा वर्ग के हितग्राहियों को रुपये 10000/- तथा सामान्य वर्ग को रुपये 7500/- का अनुदान दिया जाता है

क्र	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन मापदण्ड	दिये जाने वाला लाभ
10	नन्दी शाला योजना	नस्ल सुधार एवं पशुधन की उत्पादकता बढ़ाना	सभी वर्गों के प्रगतिशील पशु पालक	देशी वर्णित नस्ल का एक प्रजनन योग्य सांड (बीमा सहित) तथा उसके 60 दिवस हेतु पशु आहार
11	अनुदान पर कड़कनाथ चूजों का प्रदाय	कुक्कुट पालन के माध्यम से हितग्राही आर्थिक स्थिति में सुधार लाना एवं कड़कनाथ नस्ल का संरक्षण	अजजा वर्ग के कुक्कुट पालक	15 दिवसीय 50, बिना लिंग भेद के चूजे ; कुक्कुट आहार एवं औषधि

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित

क्रमांक	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1.	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना	1. आवेदक अनुसूचित वर्ग का हो। 2. गरीबी रेखा तक आमदनी हो। 3. जिले का मूल निवासी हो। 4. पूर्व में किसी भी योजना का लाभ न लिया हो। 5. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो 6. वाहन से संबंधित योजनाओं के लिए बैध ड्रायविंग लायसेंस अनिवार्य	बैंक से ऋण स्वीकृति उपरांत 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10000/- (दस हजार मात्र) का अनुदान दिया जायेगा।

2.	एस.आर.एम.एस. योजना	सफाई कामगार/आश्रितों को सम्मानजनक व्यवसाय में संलग्न करना	सफाई कामगार/ आश्रित हो, जिले का निवासी हो , एवं पूर्व में किसी योजना का लाभ न लिया हो ।	विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रता अनुसार व्यवसाय हेतु ऋण /अनुदान उपलब्ध कराना
3.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनायें	अनुसूचित वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराना	1. आवेदक की आय गरीबी रेखा से दुगुनी आय तक एवं शेष पात्रता क्रमांक एक अनुसार	आवेदकों को रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध पश्चात पात्रता अनुसार अनुदान अधिकतम रूपये 10000 /—(दस हजार मात्र) का अनुदान लाभ दिया जाता है ।
4.	राष्ट्रीय सफाई कर्म वि. निगम की योजना	सफाई कामगार /आश्रितों को सम्मान जनक व्यवसाय में संलग्न करना	1. आवेदक सफाई कामगार आश्रित हो। 2. जिले का मूल निवासी हो 3. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष तक हो	विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रता अनुसार व्यवसाय हेतु ऋण /अनुदान उपलब्ध कराना
5.	राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की योजना	निःशक्तजनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना	1. अनुसूचित जाति का हो ,न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांग हो तथा आवेदक की आय सीमा रु. ग्रामीण क्षेत्र 55000 /शहरी क्षेत्र 80000 /आय से अधिक न हो ।	विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पात्रता अनुसार व्यवसाय हेतु ऋण /अनुदान उपलब्ध कराना
6.	पं. दीनदयाल मार्केट विकास योजना	अनुसूचित वर्ग को व्यवसाय हेतु स्थल उपलब्ध कराना	1. आवेदक अनुसूचित वर्ग का हो। 2. गरीबी रेखा से दुगुनी आय सीमा तक आयधारी हो।	गुमटी / दुकान हेतु ऋण अनुदान उपलब्ध कराना है।

7.	संत रविदास आवास सह कार्यशाला योजना	आवास सह कार्यशाला उपलब्ध कराना	1. आवेदक अनुसूचित वर्ग का हो। 2. स्वयं की भूमि हो।	आवास/ब्यवसाय हेतु ऋण अनुदान उपलब्ध कराना
8.	बहिन निवेदिता स्व-सहायता समूह विकास योजना	अनुसूचितजाति एवं सफाई कामगार महिलाओं,अनुसूचित जाति की विधवा, विकलांग परित्यक्तता महिलाओं के स्वसहायता समूह गठित कर उन्हें विभागीय योजनाओं से लाभान्वित करना एवं आत्म निर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में लाना।	1. आवेदक अनुसूचित वर्ग का हो। 2. गरीबी रेखा तक आमदनी हो। 3. जिले का मूल निवासी हो। 4.पूर्व में किसी भी योजना का लाभ न लिया हो। 5. आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो 6.वाहन से संबंधित योजनाओं के लिए बैध ड्रायविंग लायसेंस अनिवार्य	समूह के गठन पश्चात् विभागीय योजनाओं के माध्यम से ऋण/ अनुदान उपलब्ध कराना।
9.	डा० अम्बेडकर स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना	कौशिल्य विकास में बृद्धि हेतु	विभागीय योजनाओं से वित्त पोषित हो।	हितग्राही को प्रशिक्षण के लिए रु.300.00 प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है

10.	सामाजिक न्याय एवं वसूली प्रोत्साहन योजना	ऋण बसूली को प्रोत्साहित करने हेतु	1. हितग्राही द्वारा विभागीय योजनाओं में बैंक /राष्ट्रीय निगमों की योजनाओं में लिए गए ऋण को निर्धारित समय सीमा ,किश्त में भुगतान किया गया हो	समय सीमा में नियमित किश्त की अदायगी की गई हो उस हितग्राही को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 500/-नगद एवं पात्रताअनुसार गोल्ड कार्ड, सिलवर कार्ड दिया जाना है
11.	अत्योदय मार्केटिंग प्रोत्साहन योजना	अनुसूचित वर्ग के लघु एवं कुटीर उद्योगों, शिल्पीयों को राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मेला प्रदर्शनी हाट बाजार में मार्केट सुविधा उपलब्ध कराना	1. आवेदक अनुसूचित वर्ग का हो। 2. विभागीय योजनाओं से वित्त पोषित हो ।	इस योजना में हितग्राही को ब्यसायिक स्थल तक आने जाने का द्वितीय श्रेणी शायिका का किराया एवं मेला अवधि में (अधिकतम 15 दिवस) 200रु. प्रतिदिन के मान से भत्ता देय होगा
12.	किस योजना (सहकारी बसूली प्रोत्साहन योजना)	ऋण बसूली को प्रोत्साहित करने हेतु	ओव्हर ड्र्यूज के ऋणगृहिता	बसूली करने वाले राजस्व अधिकारियों को बसूल राशि का 1 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है ।

जिला पंचायत जिला-छतरपुर (म0प्र0)

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	लाभ
1	2	3	4	5
1	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	अजीविका की सुरक्षा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार केवल उन्ही परिवार को दिया जावेगा जिसकी वयस्क सदस्य अकुशल श्रमिक के रूप में काम करने के लिए तैयार हों।	गांव में रहने वाले प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष के सदस्य जिनका पंजीयन हो चुका है।	मजदूरी श्रमायुक्त द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए निर्धारित दर से अथवा केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के लिए अधीनस्थ बैंक द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जायेगा। यदि किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता की पात्रता होगी।
2	एन.आर.ई.जी.एस. उपयोजना-कपिल धारा	बी.पी.एल. परिवारों के पास उपलब्ध जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।	अ.जा./अ.ज.जा. के परिवार, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार, भूमि सुधार के हितग्राही चयनित किये जायेंगे।	कृषि उत्पादन में बृद्धि, पलायन को रोकना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
3	एन.आर.ई.जी.एस. उपयोजना-नन्दन फलोद्यान	इस योजना में बी.पी.एल. हितग्राही फलदार बृक्ष लगा सकते हैं। फलोद्यान विकास।	इस उपयोजना में पात्र हितग्राहियों का चयन कपिल धारा उपयोजना के मापदण्ड के अनुसार होगा।	कृषि उत्पादन में बृद्धि, पलायन को रोकना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
4	एन.आर.ई.जी.एस. उपयोजना-भूमि शिल्प	कृषि भूमि एवं पडत भूमि में सुधार कर अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त करना।	कपिल धारा एवं नन्दन फलोद्यान उपयोजना के मापदण्डों के अनुसार हितग्राही का चयन किया जायेगा।	कृषि उत्पादन में बृद्धि, पलायन को रोकना, आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
5	एन.आर.ई.जी.एस. उपयोजना-शैल पर्ण	बनस्पति विहीन पहाड़ी एवं टीलों पर जलाऊ लकड़ी एवं चारा उत्पादन किया जाना।	ऐसे ग्राम के हितग्राही जहाँ अधिकतम टीले उपलब्ध हो एवं वर्षा का जल बिना रुके बहकर अपने साथ मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाता है।	मिट्टी क्षरण को रोकना, घास एवं जलाऊ लकड़ी आदि।

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	लाभ
1	2	3	4	5
6	एन.आर.ई.जी.एस. उपयोजना-सहस्रधारा	किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। खेतों में सिंचाई के लिए नाली निर्माण एवं नहर से लिंकेज।	सामुदायिक कार्य है।	कृषि उत्पादन में वृद्धि।
7	बी.आर.जी.एफ.	अधोसंरचना निर्माण, पंचायत एवं नगरीय निकाय के जन प्रतिनिधियों में क्षमतावृद्धि एवं कौशल उन्नयन।	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विकास के लिए। कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के विकास के लिए।	पंचायत एवं नगरीय निकाय के स्तर पर स्वशासन को शसक्त बनाना एवं उनकी इस प्रकार की क्षमता वृद्धि करना। ताकि स्थानीय स्वशासन प्रणाली में लोगों द्वारा महशूस की गई समस्या एवं जरूरतों पर ध्यान देना। अनटाइड फंड होने के कारण जो कार्य किसी अन्य योजना से नहीं किये जा सकते उन कार्यों को बी.आर.जी.एफ. में लिया जाता है। सहभागी नियोजन की प्रक्रिया शुरू करना।
8	एस.जी.एस.वाय.	बी.पी.एल. परिवारों को स्वसहायता समूह में संगठित करना, उनमें क्षमतावर्धन एवं कौशल उन्नयन तथा बैंक से लिंकेज कराना। और स्वरोजगार स्थापित कराना।	बी.पी.एल. के समस्त समान समाजार्थिक परिवारों को एस.एच.जी. में संगठित करना।	बी.पी.एल. परिवारों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित करना। तथा बैंक लिंकेज तथा चयनित प्रतिनिधियों के अनुसार स्वरोजगार स्थापित कराना। इसमें अनुदान एवं रिवाल्विंग फंड प्रदाय कर आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
9	इन्दिरा आवास योजना	गरीबी रेखा के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे बी.पी.एल. परिवारों में से चिन्हित आवासहीनों को प्राथमिकता क्रम में आवास उपलब्ध कराना।	ग्राम सभा द्वारा बी.पी.एल. प्राप्तांक के अनुसार प्राथमिकता क्रम में हितग्राही का चयन किया जाता है।	बी.पी.एल. आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराना।
10	मध्याह्न भोजन (एम.डी.एम.)	प्राथमिक एवं माध्यमिक शासकीय शालाओं में रुचिकर भोजन प्रदान करना।	प्राथमिक एवं माध्यमिक शासकीय शालाओं में भोजन व्यवस्था	बच्चों में शिक्षा के प्रति लगाव, कुपोषण से बचाव, तथा शालाओं में शतप्रतिशत बच्चों की उपस्थिति।
11	समग्र स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.)	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार प्रसार कर लोगों में जागरूकता पैदा कर स्वच्छता संबंधी स्थितियों निर्मित करना व प्रदूषित पानी व अस्वच्छता से होने वाली बीमारियों में कमी लाना।	समस्त बी.पी.एल. परिवारों को शौचालय निर्माण हेतु राशि प्रदान करना।	गंदगी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम, मलमूत्र से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा, घर के कूड़े कचरे एवं गंदे पानी का ठीक से निपटान।
12	राजीव गाँधी जल ग्रहण मिशन	जल संवर्धन एवं संरक्षण करना, मिट्टी का कटाव रोकना, बृक्षारोपण एवं चारागाह विकास करना एवं अजीविका का निर्माण करना।	यह सामुदायिक कार्य है। इसमें रीज टू वैली, वाटर सेड क्षेत्रों में कार्य किये जाते हैं। बी.पी.एल. समूहों को रिवाल्विंग फंड देकर उनमें आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक विकास	सतही एवं भूजल में वृद्धि, कृषि उत्पादन में वृद्धि, और भूमि क्षरण में कमी, जलाऊ एवं इमारती लकड़ी की उपलब्धता, चारागाह की उपलब्धता एवं समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक एवं

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	लाभ
1	2	3	4	5
			के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।	सामाजिक विकास करना।
13	जलाभिषेक अभियान	वर्षा के बहते हुए पानी के वेग को कम कर मिट्टी के कटाव को रोककर जल संग्रहण एवं संवर्धन का कार्य करना। खेत से पानी के निकास की समुचित व्यवस्था करना, पुराने तालाब आदि जल संग्रहण संरचनाओं में सुधार कर उनको उपयोग हेतु योग्य बनाना। जमीन पर बहते हुए पानी को सतह पर रोकना ताकि भूजल में बृद्धि हो सके।	सामुदायिक कार्य है।	सतही एवं भूजल में बृद्धि, कृषि उत्पादन में बृद्धि, और भूमि क्षरण में कमी, जलाऊ एवं इमारती लकड़ी की उपलब्धता, चारागाह की उपलब्धता और मिट्टी के कटाव को रोकना।
14	हरियाली महोत्सव	बृक्षारोपण करना	सामुदायिक कार्य	फलदार, छायादार एवं इमारती जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है।
15	मूलभूत	ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। इसमें स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, निस्तारी तालाबों का जीर्णोद्धार, गहरीकरण एवं निर्माण कराया जाता है।	सामुदायिक कार्य है।	ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना।
16	12 वॉ वित्त	ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राशि प्रदान की जाती है। जिसमें 70 प्रतिशत जनसंख्या एवं 30 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर राशि का वितरण किया जाता है।	सामुदायिक कार्य है।	सामुदायिक विकास कार्य एवं अधोसंरचना का निर्माण होने से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है।
17	गौंड खनिज	खनिज उत्पादन वाले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना।	सामुदायिक विकास कार्य	खनिज उत्पादन वाले ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाता है।
18	ग्रेन बैंक	ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो पहुँच विहीन हैं। वहाँ पर गरीबों, अ.ज.जा./अ.जा. एवं बी.पी.एल. परिवारों के आपदा पीड़ितों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	बी.पी.एल./अ.जा./अ.ज.जा. को 1 क्विंटल खाद्यान्न (गेंहूँ)हितग्राही को कार्य नहीं मिलने की दशा में दिया जाता है, जो बाद में वापस ले लिया जाता है।	अ.जा./अ.ज.जा./बी.पी.एल. हितग्राहियों को कार्य नहीं मिलने की स्थिति में पलायन को रोकने के लिए खाद्यान्न दिया जाता है।
19	मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को पंजीयन करके उन्हें प्रसूति सहायता, अन्वेषित सहायता एवं दुर्घटना आदि पर अनुदान प्रदाय किया जाता है।	भूमिहीन एवं खेतीहर मजदूरों को प्रदाय किया जाता है।	प्रसूति सहायता, दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह सहायता, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना।
20	विवेकानन्द समूह बीमा योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के प्राकृतिक	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना के

क्र.	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदंड	लाभ
1	2	3	4	5
		आपदा/दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु एवं शारीरिक अशक्तता से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।		कारण होने वाली मृत्यु अथवा शारीरिक अशक्तता का बीमा करवाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. के 18 से 65 वर्ष के आयु समूह के व्यक्ति को प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर बीमा कम्पनी द्वारा बीमित राशि प्रदान की जाती है।
21	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य जिसकी आयु 18 से अधिक तथा 65 वर्ष से कम हो तथा जिसकी कमाई से ही परिवार का अधिकांश गुजारा चलता है, की मृत्यु होने पर पीडित परिवार को एक मुस्त आर्थिक सहायता प्रदान करना।	हितग्राही का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा एवं शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है।	सहायता राशि में 10000=00 रुपये एक मुस्त प्रदाय की जाती है।
22	सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना	निराश्रित व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिए आर्थिक सहायता पहुँचाना।	योजना के अन्तर्गत म.प्र. के निवासी व्यक्तियों को जो 60 वर्ष के एवं अधिक आयु के निराश्रित बृद्ध हैं। 18 वर्ष एवं अधिक आयु की निराश्रित विधवा एवं परित्यक्त महिलायें हैं। 6 से 14 वर्ष आयु के स्कूल जानें वाले निःशक्त बच्चे यह बच्चे गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के अथवा निराश्रित होना चाहिए। 14 वर्ष एवं अधिक के निराश्रित निःशक्त व्यक्तियों।	इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में 65 वर्ष से कम उम्र के हितग्राहियों को 150=00 रुपये प्रतिमाह एवं 65 वर्ष से अधिक उम्र के हितग्राही को 275=00 रुपये की मासिक दर से भुगतान किया जाता है।
23	जैव विविधिता	पुरानी प्रजाति की फसलों एवं औषधि गुण वाले प्रजाति के पौधे एवं विलुप्त हो रही फसलों एवं औषधि बृक्षों के संरक्षण के लिए	सामुदायिक कार्य है।	पुरानी एवं औषधि गुणों के पौधों का संरक्षण होता है।

मत्स्योद्योग

क्रं.	योजना / कार्यक्रमों का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के माप दण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1.	2.	3.	4.	5.
1.	पट्टा आवंटन ग्रामीण तालाब/ सिंचाई जलाशय	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले मछुआ/आदिवासी/हरिजन को ग्रामीण तालाब /सिंचाई जलाशय मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर उपलब्ध कराकर स्वरोजगार दिलाना ।	पंचायत क्षेत्र की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ स्वसहायता समूह/व्यक्ति का चयन प्रथमिकता क्रम में ग्राम सभा से/संबन्धित समिति द्वारा ।	चयनित हितग्राहियों को ग्रामीण तालाब /सिंचाई जलाशय मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर आवंटित कराकर स्व-रोजगार उपलब्ध कराना । एवं अर्थिक सहायता बैंक ऋण के माध्यम से दिलाना ।
2.	शिक्षण/प्रशिक्षण	पंचायतों द्वारा चयनित पट्टा धारी हितग्राहियों को मत्स्य पालन की नवीन तकनीक का 10/15 दिवसीय प्रशिक्षण देकर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाना ।	पंचायत क्षेत्र के मछुआ /आदिवासी/हरिजन /पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य /मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राही	प्रशिक्षण द्वारा हितग्राहियों को मत्स्य पालन की उन्नत तकनीक की जानकारी द्वारा प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन बढ़ाना जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके । प्रशिक्षण अवधि में रुपये 50/100 प्रति दिन के मान से प्रशिक्षण भत्ता एवं एक बार आने-जाने का किराया प्रदाय किया जाता है साथ ही जिले के प्रगतिशील कृषकों को दूसरे प्रदेश में अध्ययन भ्रमण में भेजकर लाभान्वित किया जाता है ।
3.	दुर्घटना बीमा	मत्स्य पालन अवधि में हितग्राही की मृत्यु आंशिक अपंगता की स्थिति में प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता ।	पंचायत क्षेत्र के मछुआ /आदिवासी/हरिजन /पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य होना चाहिए ।	विभाग द्वारा हितग्राहियों का निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है । मृत्यु होने पर रूपया 50,000/- एवं स्थाई अपंगता की दशा में रू0 25,000/- प्रदाय किया जाता है ।

4.	आर्थिक सहायता	चयनित हितग्राहियों को ऋण एवं अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कराना ।	कृषकों को पंचायत द्वारा अनुषंसा उपरॉन्त उपलब्ध जलक्षेत्र के आधार पर	बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर विभाग द्वारा मछुआ को 20 प्रतिषत एवं अनुसूचित जनजाति / अनु. जाति के हितग्राहियों को 25 प्रतिषत आवर्ती व्यय में रू0 6000/- / 7500/- एवं अनावर्ती व्यय में रू0 12000/- अथवा 15000/- प्रति हे0 प्रति कृषक के मान से ।
5.	पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	मत्स्य पालन में संलग्न पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सृदृढता प्रदान कराना ।	ऐसी पंजीकृत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति सहकारी समितियों जो ग्रामीण तालाब / सिंचाई जलाषयों में मत्स्य पालन का कार्य कर रही हैं उन्हें इस योजना का लाभ प्रदाय किया जाता है ।	मत्स्य पालन में संलग्न अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की सहकारी समितियों को 150000 तक का विभाग द्वारा अनुदान प्रदाय किया जाता है । उक्त सहायता रू0 15000/- प्रति हेक्टेयर उपलब्ध जलक्षेत्र के मान से गणना कर उपलब्ध जलक्षेत्र के आधार पर अधिकतम सीमा तक ।
6.	निजी मत्स्य पालकों को अनुदान	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्पादकता एव बी. पी. एल. से	ऐसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के मत्स्य कृषकों को जो ग्रामीण तालाब / सिंचाई जलाषय में मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं उन्हें ही पात्र माना जाता है एवं उनके द्वारा किये गये व्यय के आधार पर ।	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन कार्य में व्यय की गई राशि के विपक्ष में विभाग द्वारा राशि रू0 15,000/- पन्द्रह हजार रू0 प्रति हे0 प्रति व्यक्ति ।
7.	बचत सह राहत	पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को बन्द ऋतु में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना ।	मत्स्य पालन में संलग्न मछुआ सहकारी समितियों के सदस्य को योजना में सम्मिलित किया जाता है ।	मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा रूपये 50/- प्रतिमाह सितम्बर से मई तक जमा की गई कुल राशि रू0 450/- के विपक्ष में विभाग द्वारा रू0 450/- प्रति सदस्य प्रदाय कर आर्थिक सहायता बन्द ऋतु में प्रदान की जाती है ।
8.	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण	कृषकों की ऐसी अनुपयोगी भूमि जिसमें वर्ष भर पानी भरा रहता है ऐसे भूमि में तालाब निर्माण कर मछली पालन कर रोजगार उपलब्ध कराना एवं उत्पादन बढ़ाना ।	समस्त कृषक जिनके पास तालाब निर्माण हेतु उपयुक्त जमीन उपलब्ध है ।	नियमानुसार सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 20 प्रतिषत अथवा 25 प्रतिषत की दर से रू0 40000/- अथवा 50000/- प्रति हे0 अथवा इकाई लागत का 20 प्रतिषत जो भी कम हो आर्थिक सहायता तालाब निर्माण पश्चात प्रदान की जाती है ।

महिला एवं बाल विकास

क्र०	योजना/कार्य क्रम का नाम	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदण्ड	दिये जाने वाला लाभ
1.	लाडली लक्ष्मी योजना	प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह रोकने के उद्देश्य से योजना आरम्भ की गयी है।	<p>ऐसी बालिकायें :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिनके माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों व आयकर दाता न हों। 2. द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता परिवार नियोजन अपना लिया हो। 3. प्रथम प्रसव की प्रथम बालिका जिनका जन्म 01.04.08 को या उसके पश्चात हुआ हो योजना का लाभ परिवार नियोजन की शर्त के बगैर दिया जावेगा। 4. जिस परिवार में अधिकतम 02 संतान हों माता/पिता की मृत्यु हो गयी हो उस परिवार के लिये परिवार नियोजन की शर्त अनिवार्य नहीं होगी, परंतु माता अथवा पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। 5. जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका है तथा दूसरे प्रसव पर 02 जुडवा बच्चियां जन्म लेती हैं तो दोनो जुडवा बच्चियों को योजना का लाभ दिया जायेगा। 6. यदि परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो उसे प्रथम बालिका मानते हुये योजना का लाभ दिया जायेगा। 7. निर्धारित पत्रता शर्तों को पूर्ण न करने या बालिका हितग्राही की असामायिक मृत्यु की दशा में बालिका को देय समस्त लाभ शासन को समर्पित समझे जायेगें, यदि किसी परिवार की 01 बालिका की असामायिक मृत्यु हो जाने पर उत्तर जीवी बालिका को मृत बालिका के समस्त हितलाभ स्थानान्तरित हो जायेगें दूसरी बालिका की भी असामायिक मृत्यु हो जाने की दशा में बालिकाओं को देय समस्त हितलाभ शासन को समर्पित समझे जायेगें। <p>योजना के लिये बालिका की संरक्षक माँ होगी, माँ के निधन की दशा में पिता एवं पिता के निधन की दशा में विधिक संरक्षक योजना के लिये संरक्षक होगा, अनाथ बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय/बाल संरक्षण गृह का अधीक्षक इस योजना के लिये संरक्षक होगा।</p>	<p>प्रकरण स्वीकृत उपरान्त हितग्राही के नाम पर लगातार 05 वर्षों तक रुपए 6000/- के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जायेगें।</p> <p>तदुपरान्त-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बालिका के कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर रुपए 2000/- कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर रुपए 4000/- तथा कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने पर रुपए 7500/- का एक मुस्त भुगतान किया जायेगा। 2. कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के बाद 02 वर्ष तक रुपए 200/- प्रतिमाह का भुगतान बालिका को किया जायेगा। 3. बालिका की आयु 21 वर्ष की पूर्ण होने पर तथा कक्षा 12वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर शेष एक मुस्त राशि का भुगतान किया जायेगा, किन्तु शर्त यह होगी की बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पश्चात हुआ हो ऐसी भुगतान की गयी कुल राशि जन्म के 01 वर्ष के अंदर पंजीकृत होने वाली बालिकाओं के लिये रुपए 100000/- से अधिक का भुगतान किया जायेगा।

अनुसूचित जाति / जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग की संचालित योजनाएं

क्र.	योजना / कार्यक्रम का नाम	वर्ग	उद्देश्य	हितग्राही चयन के मापदण्ड	दिया जाने वाला लाभ
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक स्तर में बालिकाओं को छात्रवृत्ति	अ.जा./ अ.ज.जा.	शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु	शैक्षणिक संस्था में प्रवेश होने पर	15 रु. प्रतिमाह 10 माह हेतु
2	कक्षा 6 से 10 तक छात्र-छात्रा को राज्य छात्रवृत्ति	—	—	—	10 माह हेतु कक्षा 6 से 8 तक, छात्र 20 रु. छात्रा 30 रु. कक्षा 9 से 10 तक, छात्र 60 रु. छात्रा. 80 रु.
3	पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति	—	—	—	पो.मै. छात्रवृत्ति नियमानुसार
4	अस्वच्छ धंधा में लगे लोगो के बच्चो को छात्रवृत्ति	अस्वच्छ धंधा	—	संस्था में प्रवेशित छात्र/ छात्रा का अस्वच्छ धंधा व्यवसाय का प्रमाण पत्र होने पर	आवासीय / गैर आवासीय दर अनुसार
5	प्रवीण्य छात्रवृत्ति	अ.जा./ अ.ज.जा.	शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु	बोर्ड परीक्षा के जिला में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र, छात्रा को	10 माह हेतु छात्र 40 रु. प्रतिमाह, छात्रा 50 रु. प्रतिमाह
6	कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं कक्षा 6वी, 9वी, 11वी	—	—	कक्षा 5वी उत्तीर्ण एवं कक्षा 6वी में प्रवेश लेने पर, कक्षा 8वी उत्तीर्ण एवं कक्षा 9वी में प्रवेश लेने पर, कक्षा 10वी उत्तीर्ण एवं कक्षा 11वी में प्रवेश लेने पर	कक्षा 6वी 500 रु. कक्षा 9वी 1000 रु. कक्षा 11वी 3000 रु.
7	सामान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अनु0जाति के प्रशिक्षणार्थियों को अतिरिक्त वृत्तियां	—	—	संस्था में प्रवेश लेने पर नियमानुसार	नियमानुसार
8	छात्रावास शिष्यवृत्ति	—	अनु0जाति/ जनजाति के छात्र, छात्रा को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु	अधिकतम अंको से उत्तीर्ण एवं छात्रावास से अधिक दूरी होने पर सीट उपलब्धता अनुसार	10 माह हेतु छात्र 500 रु. प्रतिमाह, छात्रा 525 रु. प्रतिमाह

9	छात्रगृह योजना	—“—	जिन छात्र, छात्रा को छात्रावास में जगह नहीं मिलती है, उन्हें समूह में किराया का कमरा उपलब्ध कराया जाता है	कक्षा 11 से प्रवेशित छात्रों के लिये	पो.मै. छात्रवृत्ति नियमानुसार
10	पो.मै. छात्रावासियों को आगमन भत्ता	अ.जा./ अ.ज.जा.	विस्तर आदि सामग्री हेतु	पो.मै. छात्रावास में प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु	500 रु. प्रथम वर्ष 250 रु. द्वितीय वर्ष 200 रु. तृतीय वर्ष
11	प्रीमैट्रिक छात्रावास में पुस्तकालयों की स्थापना	—“—	छात्रावासी छात्रों के बौद्धिक विकास हेतु	छात्रावास में प्रवेशित छात्र, छात्रा	
12	नेतृत्व विकास शिविर	—“—	नेतृत्व क्षमता वृद्धि हेतु	कक्षा 10वीं में सर्वाधिक अंक से उत्तीर्ण छात्र, छात्रा	भोपाल जाने का किराया एवं गणवेश
13	उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना	—“—	प्रतिभावन विद्यार्थियों के प्राविण्य उन्नयन हेतु	प्राविण्यता के आधार पर	छात्रावास में आवासीय व्यवस्था योजना, कोचिंग, कम्प्यूटर शिक्षा
14	विद्यार्थी कल्याण	—“—	निर्धन एससी. विद्यार्थियों की सहायता हेतु	शाला में प्रवेशित होने पर	योजनानुसार आवश्यक सहायता
15	सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र, छात्रा को प्रोत्साहन	—“—	प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रोत्साहन हेतु	पीएससी. / यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	20000, 30000, 25000 / 40000, 60000, 50000
16	अनु0जातियों के लिये सहायता योजना	—“—	अति संकट में अनु0जाति के व्यक्ति की सहायता	संकटापन्न स्थिति में सहायता हेतु	अधिकतम 2000 रु. तक
17	अनु0जातियों की बस्तियों का विकास	—“—	अनु0जाति की बस्ती में मूल भूत सुविधा उपलब्ध कराना	अनु0जाति बाहुल्य बस्ती में	योजना नियम अनुसार
18	मजराटोला का विद्युतीकरण	—“—	अनु0जाति बस्ती में जहां अविद्युतिकृत है विद्युत व्यवस्था कराना	—“—	—“—
19	अनु0जाति कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास	—“—	अनु0जाति के कृषकों के पास कुओं, बोरबेल है किन्तु नजदीकी विद्युत लाइन नहीं है, वहां विद्युत लाइन उपलब्ध कराना	अनु0जाति का कृषक हो ।	—“—

20	अंश कालीन अध्ययन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन	अ.जा.	विधि व्यवसाय मे प्रति स्थापना हेतु	एलएलबी. उत्तीर्ण एवं बार काउंसिल मे पंजीकृत	प्रतिमाह 200 रु. एक वर्ष हेतु
21	अंतजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	अ.जा.	अंतजातीय प्रोत्साहन हेतु	सामान्य वर्ग के पुरुष / महिला अनु0जाति के पुरुष / महिला से विवाह करने पर	50000 रु.
22	अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर	—“—	छुआछूत मिटाने हेतु	प्रतिवर्ष चयनित ग्राम मे शिविर का आयोजन	35000 रु.
23	अस्पृश्यता निवारण अन्तर्गत प्रचार प्रसार ग्राम पंचायत को पुरस्कार	—“—	अनु0जाति के विकास हेतु कार्य करने वाली ग्राम पंचायत को पुरस्कार	अस्पृश्यता निवारणार्थ उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायत	100000 रु. का पुरस्कार
24	अनु0जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत सहायत / पुर्नवास	अ.जा. / अ.ज.जा.	अनु0जाति / जनजाति के सदस्य के उपर अत्याचार होने पर सहायता	एससी / एसटी के हित संरक्षण हेतु	योजना नियम अनुसार
25	राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक	पि.व.	शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु	शैक्षणिक संस्था मे प्रवेश होने पर	10 माह हेतु कक्षा 6 से 10 तक, छात्र 20 रु. छात्रा 30 रु. कक्षा 9 से 10 तक, छात्र 30 रु. छात्रा. 40 रु.
26	पो.मै. छात्रवृत्ति	—“—	—“—	—“—	पो.मै. छात्रवृत्ति नियमानुसार
27	विद्यार्थी कल्याण	—“—	निर्धन विद्यार्थियों को सहायता हेतु	शाला मे प्रवेशित होने पर	योजना अनुसार आवश्यक सहायता
28	प्रवीण्य छात्रवृत्ति	—“—	शिक्षा मे प्रोत्साहन हेतु	कक्षा 5 एवं 8 मे जिला मे अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले छात्र, छात्रा को	10 माह हेतु कक्षा 6 से 8 तक 40 रु. कक्षा 9 से 10 तक 50 रु. प्रतिमाह
29	पो.मै. कन्या छात्रावास	—“—	—“—	कक्षा 11 एवं ऊपर की कक्षाओं मे प्रवेश लेने पर	निःशुल्क आवासीय व्यवस्था
30	सिविल सेवा परीक्षा मे उत्तीर्ण छात्र, छात्रा को प्रोत्साहन	—“—	प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रोत्साहन हेतु	पी.एस.सी. / यू.पी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	15000 रु., 10000 रु. , 25000 रु., 50000 रु.